

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबंधक/कार्मिक
हाजीपुर
दिनांक-07.06.2023

सं.- ECR-HQ0PERS(SEL)/6/2023

- मरेप्र0(का0)/पूमरे/दानापुर, सोनपुर समस्तीपुर, डीडियू एवं धनबाद।
- अध्यक्ष, रेलवे भर्ती बोर्ड, पटना/मुजफ्फरपुर
- अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, मौर्यालोक कोम्पलेक्स/पटना
- उप मुकाधि/निर्माण/महेन्द्रघाट/पटना
- मुख्य कारखाना प्रबंधक सीआरडब्ल्यू/हरनौत/समस्तीपुर एवं पीडी डीडियू
- प्रचार्य क्षे0रे0प्र0 स0भूली एवं मुज0
- अवर निबंधक रेल दावा अधिकरण/पटना
- सभी अतिरिक्त यूनिट/पूमरे।

अधिसूचना

विषय:- 50% कोटे के तहत कार्मिक विभाग के प्रवर लिपिकों से कर्मचारी एवं कर्मचारी कल्याण निरीक्षक (SWI) पे लेवल-6/ ग्रेड पे-4200/- के पद पर पदोन्नति हेतु चयन।

कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक (SWI) पे लेवल-6/ ग्रेड पे-4200/- के 50% कोटे के अन्तर्गत निम्नलिखित रिक्तियों को भरने हेतु कार्मिक विभाग के पे लेवल-5/ग्रेड पे-2800/- में कार्यरत प्रवर लिपिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

रिक्तियों की कुल संख्या:- 22 (सामान्य-18, अजा.-02, अजजा.-01 एवं PwBD-01)

पात्रता की शर्त:-

पूर्व मध्य रेल के मुख्यालय/मंडलों/ईकाईयों के कार्मिक विभाग में कार्यरत प्रवर लिपिक एवं जिनका लियन कार्मिक विभाग के प्रवर लिपिक, पे लेवल-05/ ग्रेड पे-2800/- में अनुरक्षित है तथा अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि को **कार्मिक विभाग में प्रवर लिपिक के पद पर 03 वर्ष की नियमित सेवा पूरा कर चुके हैं**, वे कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक (SWI) पे लेवल-6/ ग्रेड पे-4200/- के पद पर चयन हेतु पात्र होंगे/होंगी। वैसे कर्मचारी जो पूमरे में स्थानांतरण पर आये हैं कार्मिक विभाग में प्रवर लिपिक के पद पर पूर्व में की गई सेवायें यदि हो तो आरबीई -34/2006 के अनुसार पात्रता हेतु उनकी सेवा की गणना की जायेगी।

चयन की प्रक्रिया:-

1. रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं.-161/2009 के अनुसार यह चयन पूर्णतः प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगी एवं नामिका मेरिट के आधार पर बनाई जाएगी। रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं.-196/2018 के अनुसार सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय होंगे।
2. वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के दिये गये उत्तरों में किसी प्रकार का सुधार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। जैसे काटना, ओवर राइटिंग, लिखा हुआ मिटाना, टिक किया हुआ उत्तर काट देना और किसी अन्य उत्तर का टिक करना, किसी भी प्रकार से उत्तर में परिवर्तन करना इत्यादि।
3. चयन प्रक्रिया 50 अंकों की लिखित परीक्षा एवं सेवा पुस्तिका मुल्यांकन 30 अंक के आधार पर होगी।
4. गलत उत्तरों के लिए नकारात्मक अंकन होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंकों में से एक तिहाई अंक गलत उत्तर के लिए काटे जाएंगे।
5. पात्र कर्मचारी इसे लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अग्रिम सूचना समझेंगे।
6. पाठ्यक्रम की प्रति अलग-अलग "B" के रूप में संलग्न है।


7/6/23

पूर्व मध्य रेल के कार्मिक विभाग में कार्यरत प्रवर लिपिक जो उपरोक्त वर्णित शर्तों को पूरा करते हो और लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए इच्छुक हो, वे निर्धारित आवेदन-पत्र प्रारूप जो अनुलग्नक- 'A' के रूप में संलग्न है, पर अपना आवेदन पूर्ण रूप से भरकर संबंधित कार्मिक विभाग में **दिनांक-23.06.2023** तक जमा कर सकते हैं। संबंधित कार्मिक अधिकारी, कर्मचारियों के आवेदन में उल्लेखित सेवा विवरण की जांच सेवा-अभिलेख से कर, केवल पात्र कर्मचारियों का आवेदन **दिनांक- 30.06.2023** तक सकाधि/ईएसएम के नाम अग्रसारित कर विशेष वाहक द्वारा एक बंच में भेजा जाना सुनिश्चित करेंगे। उक्त तिथि के उपरांत कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे। आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा, हस्ताक्षर तथा संबंधित कार्मिक अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर होने पर ही स्वीकार्य किये जायेंगे।

Tentative Calendar

01	Last date of submission of application in units	23.06.2023
02	Last date of receipt of application in HQ	30.06.2023
03	Final list by HQ	07.07.2023
04	Date & Venue of Written test	19.07.2023 & Venue will be decided later on

सभी संबंधित/कार्मिक अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर इसे लगावे तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें। यदि कार्मिक विभाग का कोई वरिष्ठ लिपिक प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हो तो उन्हें भी सूचित करना संबंधित लियन धारित कार्मिक विभाग की जिम्मेवारी होगी।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। पुनः उल्लेख किया जाता है, कि आवेदन करने वाले पात्र कर्मचारी चयन हेतु आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा में शामिल होने हेतु, इसे तैयार नोटिश भी समझे।

अगर किसी कर्मचारी का सेवा विवरण गलत पाया जाता है तो उनकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जायेगी।

संलग्न:- **Annexure- 'A' & 'B'**

(एम. के. चौधरी)
सकाधि/ईएसएम
कृते महाप्रबंधक(कार्मिक)

प्रतिलिपि :— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. वरिष्ठ उप महाप्रबंधक/पूमरे/हाजीपुर।
2. प्रमुकाधि महोदय के सचिव:— प्रमुकाधि महोदय के सादर सूचनार्थ
3. मुकाधि/प्र0 महोदय के निजी सचिव—॥ मुकाधि/प्र0 महोदय के सादर सूचनार्थ
4. उप मुकाधि/आई.आर.&डब्लू एवं राज0/पूमरे/हाजीपुर।
5. वकाधि/राज/पूमरे/हाजीपुर।
6. सकाधि/आई.आर.&डब्लू/एम.एण्ड ई/पूमरे/हाजीपुर।
7. सकाधि/एमपीपी/पूमरे/हाजीपुर:— पूमरे के वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु।
8. मुख्य कर्मचारी एवं काल्याण निरीक्षक, मुख्यालय/पूमरे/हाजीपुर।
9. जीएस, ईसीआरकेयू/पूमरे /हाजीपुर।
10. सूचनापट।

कृते महाप्रबंधक(कार्मिक)

Annexure- 'A'

Application for the post of Staff & Welfare Inspector in Level-6 under 50% quota from the Personnel Department.

1. Name of the Employee :-
2. Date of Birth :-
3. Date of Appointment :-
4. Present Designation & Level :-
5. Previous Grade :-
6. Date of entry in the present GP :-
7. Regular three (03) years completed in present GP as on :-
8. Date of entry in previous GP :-
9. Whether belonging to SC/ST/PwBD :-
10. Education Qualification :-
11. Other qualification for fulfilling eligibility criteria :-
12. Working Place/Division/Unit :-
13. Lien at :-

Attested photograph

I am willing to take up assignment of Staff & Welfare Inspector anywhere in the East Central Railway and I will not ask for repatriation to my parent cadre i.e. I understand that my connection with my parent cadre will be severe for all.

Signature of the applicant

Verified and certified as correct. The applicant strictly fulfills the eligibility criteria.

 Controlling Officer.

Personnel Branch Officer

Annexure- 'B'

**SYLLABUS FOR THE POST OF STAFF & WELFARE INSPECTOR in
GP-4200/-(Level-6)**

1. Condition of Service, execution of service agreement, Recording of date of birth change in name.
 2. Service Records of Non Gazetted staff, preparation of folders & service Book etc.
 3. Leave Rules, Maintenance of leave account.
 4. Increment.
 5. Promotion.
 6. Fixation of Pay.
 7. Preparation of salary Bills, TA and actual expenses.
 8. Payment from station earnings.
 9. Imprest cash account.
 10. Calculation of income tax.
 11. Advances & Allowances.
 12. PF and special contribution of PF Rules. Preparation of PF papers & applications for special contribution to PF.
 13. Pass Rules.
 14. Railway Servants conduct Rules.
 15. Discipline and Appeal Rules.
 16. Railway Pension Rules.
 17. Preparation of settlement papers, expeditious payment of settlement dues
 18. Staff Benefit Fund rules, Holiday Home, Mahila Samitee, Canteen Co-operative & Institute Welfare Camp, and Reimbursement of tuition fees supply of uniforms.
 19. Educational assistance rules.
 20. Delegation of powers in Establishment matters.
 21. Dealing with grievances.
 22. Industrial Relations Machinery.
 23. Minimum wages Act 1948.
 24. Payment of wages Act 1936
 25. Industrial Dispute Act 1947
 26. Work/men Compensation Act 1923 and preparation of compensation papers
 27. Factories Act 1948.
 28. House of Employment Regulation, Calculation of overtime.
 29. Casual labour and Substitutes.
 30. Role of Staff Welfare Inspector.
 31. Raj Bhasha Rules.
 32. A general idea of the evaluation of the pay structure and other service condition of govt Servant and the reports of the various committee and commissions connected therewith
 33. Lump Sum Ex. Gratia Payment.
 34. R.T.I.
- 